

भारत  
उपखण्ड अधिकारी

₹

दस्तावेज संख्या 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के  
अनुसार प्रविष्टिगत इस आदेश का पेश किया कि बाँटी व  
बाँटी द्वारा दिनांक 04.09.2018 को यह राजस्व दावा

निर्णय

दिनांक :- 14.01.2020

दावा घोषणात्मक इस्तेफारत रुक  
व अन्तर्गत द्वारा 88, 89, 188  
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रविष्टिगत.....

राजस्थान सरकार जलिये तहसीलदार, भरतपुर।

- 1. दिवस
- 2. इलाका
- 3. इलाका
- 4. विभाग
- 5. तहसील
- 6. राजस्व
- 7. जमा
- 8. निर्णय

(राज.)

पुनर्मा स्व. क्यामलाल उर्फ क्यामा जालि ब्राह्मण  
निवासी ग्राम खोखर तहसील व जिला भरतपुर

बनाम

बाँटी.....

ग्राम खोखर तहसील व जिला भरतपुर।

महोदय प्रसाद पुत्र श्री क्यामलाल उर्फ क्यामा जालि ब्राह्मण निवासी

राजस्व दावा सं: - 137 / 2018

राजस्थान अधिकारी - राजय मीथल आर.ए.एस.

राजस्थान





... कि विवाहित आरजी को वादी एवं हम  
... को हो चुकी है। प्रतिवादीगण ने अपना इकबाल दावा  
... कि मुलाबक मृत्यु प्रमाण पत्र क्यामाल की मृत्यु  
... प्रतिवादीगण के पिता के नाम  
... कि या गया। मुलाबक नकल जमाबन्दी संख्या  
... के अभिभाषकों की बहस सुनी।

... का खतदार काश्तकार घोषित किया जावे।  
... में शपथ पत्र पर बयान श्री महावीर प्रसाद  
... प्रतिवादीगण के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोपति पेश  
... में नकल जमाबन्दी संख्या

... कि विवाहित आरजी को  
... कि मुलाबक मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोपति पेश  
... कि या गया। मुलाबक नकल जमाबन्दी संख्या

... कि विवाहित आरजी को  
... कि मुलाबक मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोपति पेश  
... कि या गया। मुलाबक नकल जमाबन्दी संख्या

अतः प्रार्थना है कि आरजी बाके ग्राम खीखर तहसील व  
... कि मुलाबक मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोपति पेश  
... कि या गया। मुलाबक नकल जमाबन्दी संख्या

भरतपुर  
उपखण्ड अधिकारी  
आर.ए.एस.  
(संजय गोयल)

निर्णय वाक्य खिले न्यायालय में सुनाया गया।

भरतपुर  
उपखण्ड अधिकारी  
आर.ए.एस.  
(संजय गोयल)

भरतपुर पर्याप्त नहीं है।  
1/9 का खातेदार कारतदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।  
कमल कर वादी एवं प्रतिवादीगण को वहिस्ता बराबर 1/9 -  
खिले न्यायालय व जिला भरतपुर पर क्यामा पुत्र भोला का नाम

240/1/0.23,	77/0.50	किता 20	रकबा 8.29	है. बाके ग्राम
229/0.32,	229/0.43,	236/0.01,	237/1.02,	238/0.47,
179/0.31,	188/0.34,	191/0.37,	192/0.51,	208/0.96,
143/0.85,	147/0.32,	149/0.15,	163/0.29,	178/0.45,
142/0.01,	133/0.49,	104/0.26,	आ.ख.नं.	

अतः आज्ञा है कि :-

प्रतिवादीगण में व हिस्ता बराबर 1/9 - 1/9 का खातेदार कारतदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।  
इसलिए विरासत के आधार पर सभी व हिस्ता क्यामा की संज्ञान है।  
इसलिए विरासत के आधार पर सभी व हिस्ता बराबर के खातेदार कारतदार हैं।  
अतः दोगा वादी पत्रावली पर उपलब्ध पत्रावली साक्ष्य के आधार पर स्वीकार योग्य है।